



2026:AHC:25836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2848, वर्ष 2026

हरेंद्र सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : अजय मिश्रा, आशीष कुमार मिश्रा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : आदित्य भूषण सिंघल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण इस आदेश से व्याथेत महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची द्वारा वर्तमान याचिका में मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 3-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतम बुद्ध नगर को वाद संख्या 3494, वर्ष 2025 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202511270003494 को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे उपरोक्त वाद का निस्तारण विधि के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"